



# डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक- ५२१०/६७२/२०१९  
दिनांक:- ०३/११/२०१९

सेवा में,

विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।  
(उच्च शिक्षा अनुभाग-३)

विषय: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६ के प्राविधानों को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में (माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका संख्या-११६/१९९८ जस्टिस सुनन्दा भण्डारी फाउन्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डियन व अन्य)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६ की संगत धाराओं संख्या- १६, १७, १८, ३१ व ३२ के प्राविधानों का अनुपालन आख्या उच्च शिक्षा अनुभाग-३ को उपलब्ध कराने को निर्देशित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराना है-

१. अधिनियम की धारा-१६ का अनुपालन हो रहा है और दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान की जा रही है।
२. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६ का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु विश्वविद्यालय के सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को पत्र संख्या प्रशा०/६७८/२०१९, दिनांक: ०३.०१.२०१९ जारी किया गया है। (संलग्नक-१)
३. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६ की उक्त धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में न्यूनतम ५ प्रतिशत प्रवेश एवं विश्वविद्यालय की शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर सेवाओं में न्यूनतम ४ प्रतिशत का आरक्षण का प्राविधान किया जाता है।
४. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के सभी परिसरों/संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए (रैम्प) का निर्माण कराया गया है तथा शेष रह गये आवासीय संस्थान/विभागों में (रैम्प) निर्माण प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजन छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान की जाती है।
५. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के खन्दारी परिसर में स्थित विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में ६ एवं १८ वर्ष मध्य की आयु के दिव्यांगजन छात्रों को मुफ्त शिक्षा का प्राविधान है।
६. विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों/विभागों में दिव्यांगजन अधिकारों के प्रति समय-समय पर कार्यशाला एवं सम्भाषण आयोजित किये जाते हैं।
७. विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजन परीक्षार्थियों की वर्ष २०१८ की परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के सम्बन्धित छात्र की मांग पर उनके कॉलेज/समीपस्थ केन्द्र को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।

o/c

रव

af

कृ०पृ०उ०...२

8. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2013 में शिक्षणेत्तर पदों में 02 तृतीय श्रेणी तथा 01 परिचर की नियुक्ति की गयी है जिसमें 02 दृष्टि-बाधित तथा 01 श्रवण-बाधित दिव्यांगजन है इसके साथ ही अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में पूर्व से ही तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी को सम्मिलित करते हुए कुल 10 कर्मचारी दिव्यांग श्रेणी के सेवारत हैं।
9. विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों/विभागों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।
10. अधिनियम की धारा-17 सरकार से सम्बन्धित है जिसका अनुपालन शासन स्तर पर अपेक्षित है। शासन द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत जो भी निर्देश दिया जायेगा उसका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।
11. अधिनियम की धारा-18 शासन स्तर से सम्बन्ध रखती है। शासन द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत जो भी निर्देश दिया जायेगा उसका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।
12. अधिनियम की धारा-31(1) व (2) का अनुपालन करते हुए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के प्रत्येक दिव्यांग बालक का निकटवर्ती या उसकी पसन्द की किसी विशेष महाविद्यालय एवं कॉलेज में निशुल्क प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेशों का पालन कराया जाता है।
13. अधिनियम की धारा-32 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आगामी सत्र में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायेंगे तथा 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले दिव्यांगजनों के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष तक की सिथिलता दिये जाने का प्राविधान विश्वविद्यालय स्तर पर व विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों/कॉलेजों में प्रचलित शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)

कुलसचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वित्त अधिकारी।
2. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय को कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. उपकुलसचिव(लेखा/प्रशासन)।
5. प्रभारी, एजेन्सी को इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र को विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/कॉलेजों की लॉग-इन आईडी0 पर अपलोड करें।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 को <http://disabilityaffairs.gov.in> वेबसाइट से हार्ड कॉपी लेकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिव्यांगजन फोल्डर बना कर प्रदर्शित करें।
7. अभिलेख खण्ड।

कुलसचिव



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:- 571/1.....2019

दिनांक:- 03/11.....2019

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,  
सम्बद्ध महाविद्यालय/कॉलेज,  
.....

विषय: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्राविधानों को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में (माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका संख्या-116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारी फाउन्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डियन व अन्य)।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक शासनादेश जारी कर उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-3 द्वारा अपेक्षा की गई है कि शासन द्वारा दिव्यांगजनों हेतु बनाये गये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 का पूर्ण पालन करते हुए दिव्यांगजनों को उक्त अधिकार अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों को प्रदान किया जाये जिसके तहत मुख्य रूप से अधिनियम की धारा-16, 17, 18, 31 व 32 के प्राविधानों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की अपेक्षा की गई है। कृपया शासन की वेबसाइट <http://disabilityaffairs.gov.in> से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 प्राप्त कर लें और उसके नियमों का पालन करने का कष्ट करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की उपरोक्त उल्लिखित धाराओं की प्रति संलग्न है।

भवदीय

कैलाश नाथ सिंह  
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वित्त अधिकारी।
2. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय को कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. उपकुलसचिव(लेखा/प्रशासन)।
5. प्रभारी, एजेन्सी को इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र को विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/कॉलेजों की लॉग-इन आईडी0डी0 पर अपलोड करें।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 को <http://disabilityaffairs.gov.in> वेबसाइट से हार्ड कॉपी लेकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिव्यांगजन फोल्डर बना कर प्रदर्शित करें।
7. अभिलेख खण्ड।

कुलसचिव

16. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी विक्रमोपित व मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाएँ दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगे,—

- (i) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आभोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना;
- (ii) भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच बनाना;
- (iii) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास-सुविधा प्रदान करना;
- (iv) ऐसे वातावरण में, जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिपरक या अनाथा आवश्यकता सहायता प्रदान करना;
- (v) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को, जो अंधा या बधिर या दोनों हैं, संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना;
- (vi) बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या-दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;
- (vii) प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी, प्रगति को मानीटर करना;
- (viii) दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिवार के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना।

17. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात्—

(क) दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए-उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उस परिमाण के संबंध में जहां तक उन्हें वह पुरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर पांच वर्ष में सर्वेक्षण करना;

प्रारंभ पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा;

(ख) पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना;

(ग) शिक्षकों को, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और बेल में अर्हित हैं और ऐसे शिक्षकों को भी, जो बौद्धिक रूप में दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित और नियोजित करना;

(घ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तिकों और कर्मचारिवृद्ध को प्रशिक्षित करना;

(ङ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

(च) वाक्शक्ति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक्शक्ति के उपयोग की अनुपमूर्ति के लिए संप्रेषण, ब्रैल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों सहित समुचित संबंधों और अनुकूलनी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना;

(छ) संदर्भित दिव्यांग छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां निःशुल्क उपलब्ध कराना;

(ज) संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(झ) दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणालियों में उपयुक्त उपांतरण करना जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या लेखक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट;

(ञ) विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(ट) कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो।

18. समुचित सरकार या स्थायी प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय।

प्रौढ़ शिक्षा।

अध्याय 6

संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपाय

संदर्भित दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा।

31. (1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छह वर्ष से अठारह वर्ष तक का संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक का निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद का किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

2009 का 35

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण।

32. (1) उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगी।

(2) उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक निर्धारित हो सकती है।



registrar Dr. B.R.Ambedkar University <registrar.dbrau.ac.in@gmail.com>

**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016**


Message


registrar Dr. B.R.Ambedkar University <registrar.dbrau.ac.in@gmail.com>  
To: hesection.3@gmail.com

Tue, Jan 3, 2019 at 5:44 PM

Letter no. Prash/672/2019, dated. 03-01-2019

**2 attachments**

 prash-671-2019.PDF  
716K

 prash-672-2019.PDF  
1385K



registrar Dr. B.R.Ambedkar University <registrar.dbrau.ac.in@gmail.com>


**Letter no. Admin/ 972 / 2019, Dated. 03-01-2019**

message

registrar Dr. B.R.Ambedkar University <registrar.dbrau.ac.in@gmail.com>  
To: dbrauniv <dbrauniv@gmail.com>, mks\_iss <mks\_iss@yahoo.co.in>

Thu, Jan 3, 2019 at 6:07 PM

To upload on Website.

 **Admin-972-2019.PDF**  
3751K

*[The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a list of items or a document body.]*

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...